20/11/24 पत्रावली पेशी में ली गई। उभयपक्ष उपस्थित।
सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग का जवाब
शामिल पत्रावली किया गया। उभय पक्ष की बहस
को सुना गया। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौरान बहस
अपने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का अभिकथन
किया कि सरहद वाके चक 3 LC(B) विजयनगर
खाता संख्या 40 का मुरब्बा नं 8 पटपर संख्या
5, 6, 7/1, 14, 15, 16, 17 24, 25 में कुल 2.1090
हैक्टेयर कमाण्ड खातेदारी भूमि प्रार्थी के नाम
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। वादी/प्रार्थी अधिवक्ता
ने अपने कथन में कहा कि किला न. 15 में 3
शीशम के पेड़, किला न. 5 में जवार किला नं.
6 में नरमा आबाद कर रखा है प्रार्थी की
कृषि भूमि में रास्ता [illegible] ना ही कोई रास्ते

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पर चल रहा है। जिसते की अप्रार्थी की कृषि
भूमि के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में गत
40 वर्षों से रास्ता चल रहा है जो सिंचाई
विभाग के चक 3ㄴㄷ (B) के चक प्लान के
अनुसार रिकॉर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी ने षड्यंत्र
कर कुछ रोज पूर्व ये रास्ता बंद कर दिया है
और ऐसी धमकी दी है कि किला नं. 5, 6
15, 16, 25 में से रास्ता निकाल कर रहेंगे।
अप्रार्थी संख्या 1 व दो की कृषि भूमि के किला
नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से ही आ रहा है रास्ता।
चक प्लान के अनुसार प्रार्थी की कृषि भूमि प.स.
सं. 129/356 के किला नं. 5 व अप्रार्थी की
कृषि भूमि प.सं. 128/356 के किला नं. एक
में पुलिया बनी हुई है तथा इस पुलिया को
जोड़ने वाला रास्ता अप्रार्थी संख्या 1, 2
की कृषि भूमि के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में से
ही आ रहा है। अप्रार्थी जबरदस्ती गैर कानूनी
तरीके से ही प्रार्थी की खातेदारी में से रास्ता
निकालने की फिराक में है जिससे प्रार्थी की
बिजान की गई फसल नष्ट हो जायेगी और
जिससे अपूर्णनीय क्षति होगी। इसलिए प्रार्थी
अस्थाई निषेधाज्ञा पाने का अधिकारी है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता ने
अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन
में कहा कि [illegible] राजस्व रिकॉर्ड नक्शा चक
3ㄴㄷ (B) का प.नं. 129 [illegible] रास्ता आम
[illegible] दर्ज है। मौके [illegible] 3ㄴㄷ (B) के
द्वारा राजस्व नक्शा। चक [illegible]
अनुसार रास्ता स्थिति दर्शाते हुए नक्शा
जारी किया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत नक्शा
सिंचाई विभाग के गलत नक्शे को आधार
बनाया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

रास्ता आदि की स्थिति को जानने के लिए राजस्व नक्शा ही प्रमाणिक आधार है इस मत के समर्थन में कार्यालय तहसीलदार अनूपगढ के पत्रांक 1105 दिनांक 26/11/77 मिसल नं. 200/77 भी प्रस्तुत किया है (संलग्न) अत: अप्रार्थी के रकबा मुरब्बा नं. 128/356 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है बल्कि राजस्व नक्शा में प्रार्थी के रकबा मु.नं. 129/356 का किला नं. 5/6, 15, 16, 25 में रास्ता दर्ज है जिसे प्रार्थी ने बंद कर दिया है अप्रार्थी के रकबा में जबरन रास्ता चालू करवाना चाहता है प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जिससे चक के काश्तकारों को रास्ता के निर्बाध उपयोग में भारी असुविधा हो रही है जिसके कारण चक के काश्तकार अपने रकबा में बिजान करने, पानी बारी लगाने व कृषि कार्य करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रार्थी द्वारा पूर्व में भी दो बार रास्ता को बंद कर दिया गया जिसे खुलवाया गया परंतु पुन: रास्ता बंद कर दुबारा अस्थायी स्थगन लेने से इन मुरब्बा से चिपते काश्तकारों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है अत: अप्रार्थीगण को अपूर्णनीय क्षति व असुविधा हो रही है जो कि प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थी के पक्ष में है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

उभय पक्ष की बहस को सुना गया। प्रस्तुत रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। तहसीलदार राजस्व द्वारा प्रस्तुत राजस्व नक्शा व सिंचाई विभाग का चक प्लान, कृषकों द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र इत्यादि का अवलोकन किया गया। हम प्रकरण की अस्थायी निषेधाज्ञा के आवश्यक एवं सारभूत निम्नलिखित 3 बिन्दुओं के विवेचन के आधार पर प्रकरण को निर्णीत करना आवश्यक समझते हैं।

1. प्रथम दृष्टया मामला — प्रथम दृष्टया ... आवश्यक है कि प्रार्थना पत्र में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन मात्र से यह विख्यात करने का पर्याप्त कारण हो कि विवादित आराजी में प्रार्थी को अनुतोष प्राप्त करने का पर्याप्त आधार प्राप्त है चूंकि तहसीलदार पत्रांक 200/77 पत्रांक और मिसल संख्या 200/77 पत्रांक से प्राप्त राजस्व नक्शा

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

1105 दिनांक 26/11/77 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि मुरब्बा नं. 8, 13, 18, 22, 27, 30 35 किला नं. 5, 6, 15, 16, 25 में डोटेड लाइन की जद्द क्षेत्र में खाल स्याली से रास्ता अंकन है; मुरब्बा नं. 8 में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सहायक अभियन्ता जल संसाधन विभाग खानूवाल आसखण्डी विजयनगर द्वारा प्रस्तुत जवाब देने से स्पष्ट है कि मदसंख्या 7 में संधारित राजकीय अभिलेख में दर्ज चक 3 LCB के पत्थर नं. 128/356 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता प्रदर्शित को आंशिक स्वीकार किया है। लेकिन स्वीकृत CCA रिकॉर्ड में चक 3 LCB के पत्थर नं. 128/356 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21 में रास्ता की भूमि की कटौती ना कर पत्थर नं. 128/356 मुरब्बे के सम्पूर्ण 25 बीघे शामिल किये गये हैं. इससे पूर्णत: स्पष्ट है कि सिंचाई विभाग द्वारा रास्ता की भूमि कटौती नहीं की गई है और ना ही इससे जुडे अगले किलों में वर्तमान में कोई रास्ता सिंचाई विभाग का चालू नहीं है बल्कि डोटेड लाइन से खाल स्याली से अंकित रास्ता मुरब्बा नं 8 से लेकर मुरब्बा नं 35 तक अंकन है, मौके पर मुरब्बा नं 8 के 5, 6, 15, 16, 25 को छोड़कर शेष में नीचे के मुरब्बा में अनवरत चालू है। राजस्व विभाग को ही रास्तों का निर्धारण की अधिकारिता है ना कि सिंचाई विभाग की। अत: इस विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में बखूबी साबित होता है तथा प्रार्थी इसे अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा।

2. सुविधा का सन्तुलन : अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रकरण में सुविधा का सन्तुलन एक आवश्यक तत्व है; इसका तात्पर्य है कि हस्तगत प्रकरण में आदेश नहीं किया [illegible] प्रार्थी को असुविधा होगी [illegible] प्रथम दृष्ट्या अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो चुका है, प्रार्थी द्वारा रास्ता बंद करने से कई मुरब्बों के काश्तकारों को आवागमन में असुविधा होगी। अत: वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में प्रस्तुत शपथपत्रों, दस्तावेजों

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

के आधार पर तथा प्रथम दृष्ट्या मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में और प्रार्थी के खिलाफ साबित होता है।

3. अपूर्णीय क्षति - उक्त प्रार्थना पत्र के आलोक में प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन दोनों प्रार्थी के विरुद्ध साबित हुए हैं।

अत: हमारा विनम्र अभिमत है कि प्रार्थीगण के पक्ष में तीनों बिन्दु यथा प्रथम दृष्ट्या का मामला, सुविधा का सन्तुलन, अपूर्णीय क्षति साबित नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र 2/2 आरटीएक्ट को खारिज किया जाना हम विधिसम्मत समझते हैं।

अत: उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण काश्तकारी अधिनियम धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 20/11/24 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature] 20/11/24

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2024.12.11 10:34:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner